रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1819] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2008/पौष 8, 1930
No. 1819] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2008/PAUSA 8, 1930

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2986(अ).—लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 का विनिश्चय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

"माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष
संसद भवन, नई दिल्ली

प्रो. राम गोपाल यादव,
समाजवादी पार्टी संसदीय दल के नेता,
कार्यालय का पता :
130, संसद भवन, नई दिल्ली-110001

......याची

बनाम

श्री अफजाल अंसारी,
संसद सदस्य (लोक सभा),
गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,
वर्तमान में जिला कारागार, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में निरुद्ध

.....प्रत्यर्थी

के मामले में :

आदेश :

1. यह आवेदन लोक सभा में समाजवादी पार्टी (एसपी) के नेता प्रो. राम गोपाल यादव द्वारा श्री अफजाल अंसारी, लोक सभा सदस्य के विरुद्ध 28 जुलाई, 2008 को दाखिल किया गया है जिसमें प्रत्यर्थी को लोक सभा में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लाए गए विश्वास मत पर 21 जुलाई, 2008 को चर्चा के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा उनको जारी पार्टी व्हिप के उल्लंघन में किए गए मतदान के आधार पर भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन वर्तमान लोक सभा का सदस्य होने और बने रहने से निरर्ह करने के लिए आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई है ।

2. याची द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी, जो लोक सभा के सदस्य हैं, चौदहवीं लोक सभा के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे तथा उनका नाम लोक सभा के अभिलेख में समाजवादी पार्टी की सदस्य सूची में शामिल है ।

3. याचिका में यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी को 21 और 22 जुलाई, 2008 को बुलाए गए लोक सभा के विशेष सत्र में प्रधान मंत्री द्वारा पेश किए गए केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए व्हिप जारी किया गया था । याची ने याचिका में यह भी कहा है कि मंगलवार, 22 जुलाई, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उन्होंने प्रत्यर्थी को विश्वास मत के पक्ष में मतदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुदेश किया था। समाजवादी पार्टी संसदीय दल के मुख्य सचेतक द्वारा कथित रूप से 15 जुलाई, 2008 को जारी तीन पंक्ति के व्हिप की एक प्रति याचिका के साथ संलग्न कर दी गई है ।

4. याची का पक्ष है कि उपरोक्त के बावजूद, प्रत्यर्थी ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने की बजाय पार्टी व्हिप और निदेश के उल्लंघन में इसके विरुद्ध मतदान किया और प्रत्यर्थी लोक सभा का सदस्य होने से निरर्ह हो गए हैं और यह कि पार्टी के निदेश के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए मतदान को "माफ" नहीं किया गया है।

5. प्रत्यर्थी ने 13 अगस्त, 2008 को कारागार अधीक्षक, जिला कारागार गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, जहां वे निरुद्ध हैं, के माध्यम से याचिका का उत्तर प्रस्तुत किया जो कि याचिका में दिए गए तर्कों से संबंधित है ।

6. प्रत्यर्थी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि वे समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चौदहवीं लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए हैं । आगे यह भी बताया गया है कि उनके विरुद्ध कतिपय आरोप, जिसके बारे में प्रत्यर्थी का तर्क है कि वे षड्यंत्र पर आधारित हैं, वे 8 दिसम्बर, 2005 से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला कारागार में निरुद्ध हैं तथा अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं।

7. प्रतिविरोधी के गुणावगुण का उत्तर देते हुए, प्रत्यर्थी ने बताया है कि उन्हें पार्टी द्वारा व्हिप की कोई भी प्रति नहीं भेजी गई थी और यदि उन्हें कारागार में ऐसी कोई भी प्रति भेजी गई होती, तो उसका अभिलेख कारागार में होता और यह कि ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है । उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि याची ने उन्हें 22 जुलाई, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कोई सूचना दी थी और यहां तक कि वे उस समय सभा में उपस्थित भी नहीं थे । अंततः, प्रत्यर्थी ने बताया है कि उनको पार्टी द्वारा जारी व्हिप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तथा उन्हें मतदान से पूर्व व्हिप से संबंधित कोई भी मौखिक अथवा लिखित सूचना भी नहीं दी गई थी, अतः प्रत्यर्थी ने स्वविवेक से विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया । उन्होंने निवेदन किया कि तद्नुसार याचिका को अस्वीकार किया जाए ।

8. मैंने 21 अक्तूबर, 2008 को मामले की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की जिसमें केवल याची उपस्थित थे परन्तु कारागार प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यर्थी को उपस्थित नहीं किया गया, इसलिए उनको आवश्यक निदेश जारी किए गए ताकि वे अगली सुनवाई, जिसकी तारीख मैंने 12 नवम्बर, 2008 को नियत की है, को प्रत्यर्थी को उपस्थित करने की व्यवस्था करें ।

9. 15 दिसम्बर, 2008 को मेरे द्वारा की गई दूसरी सुनवाई में भी प्रत्यर्थी को उपस्थित नहीं किया गया और यहां तक कि समुचित न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष दाखिल आवेदन लंबित है तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निदेश दिया कि मामले पर 16 दिसम्बर, 2008 को कार्यवाही की जाए । उसी दिन, मैंने पुनः समुचित प्राधिकारियों को निदेश दिया कि वे प्रत्यर्थी को सुनवाई के लिए, जो मैंने 24 दिसम्बर, 2008 को अपराह्न 4.00 बजे नियत की है, उपस्थित करने की व्यवस्था करें ।

10. 24 दिसम्बर, 2008 को हुई व्यक्तिगत सुनवाई में याची अनुपस्थित थे और वस्तुतः उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और वे राज्य सभा के सदस्य बन गए हैं । न तो वे और न ही उनके कोई प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित हुए, परन्तु गाजीपुर के कारागार प्राधिकारियों ने प्रत्यर्थी को सुनवाई में उपस्थित करने की व्यवस्था की ।

11. सुनवाई में प्रत्यर्थी ने अपने उत्तर में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर तर्क दिया । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उन्हें कोई संदेश भेजा नहीं गया था और यह कि वे 8 दिसम्बर, 2005 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं और यह कि यदि उन्हें कारागार में कोई संदेश भेजा गया होता तो जेल प्राधिकारियों द्वारा उसका अभिलेख रखा जाता, यह कि ऐसा कोई अभिलेख नहीं है और उन्होंने उन्हें कोई संदेश पत्र भेजे जाने की बात को अस्वीकार किया । लोक सभा सचिवालय को भी गाजीपुर जेल के प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई है कि प्रत्यर्थी, जो कारागार की अभिरक्षा में हैं, उन्हें संगत अवधि के दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से कोई संदेश नहीं भेजा गया था ।

12. जैसा कि याचिका में विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, याची द्वारा प्रत्यर्थी को 22 जुलाई, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मौखिक सूचना दिए जाने के बारे में, प्रत्यर्थी ने यह दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी को गाजीपुर केन्द्रीय कारागार से दिल्ली लाए जाने के बाद 22 जुलाई, 2008 को पूर्वाह्न 11.40 बजे लोक सभा सचिवालय के वाच एण्ड वार्ड स्टाफ को सौंप दिया गया और यह कि उन्हें उस तारीख को रात्रि 8.30 बजे समुचित पुलिस प्राधिकारियों के हवाले कर दिया गया है । इसके बारे में संगत अभिलेखों को इस मामले के पेपर-बुक में शामिल किया गया है । अतः प्रत्यर्थी के अनुसार उस तारीख को पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्भवतः याची द्वारा उसे सूचित नहीं किया जा सकता था चूंकि वे उस समय सभा में उपस्थित भी नहीं थे ।

13. पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों और तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी जो 8 दिसम्बर, 2005 से कारागार में है, को कोई लिखित सूचना अथवा समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक द्वारा जारी व्हिप की कोई प्रति नहीं भेजी गई थी चूंकि जेल प्राधिकारियों द्वारा उचित अभिलेख रखे बगैर उन्हें ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा जा सकता था और किसी के पास ऐसा अभिलेख उपलब्ध नहीं है । किसी भी स्थिति में, याची ने ऐसे किसी अभिलेख को सिद्ध नहीं किया है ।

14. जहां तक व्यक्तिगत सूचना का संबंध है जो याची के अनुसार 22 जुलाई, 2008 को पूर्वाह्न 11.00 बजे दी गई थी, साक्ष्य है कि वह सूचना, यदि कोई हो पूर्वाह्न 11.00 बजे नहीं दी जा सकती थी क्योंकि प्रत्यर्थी को पूर्वाह्न 11.40 बजे लोक सभा सचिवालय के वाच एण्ड वार्ड स्टाफ को सौंप दिया गया था ।

15. उपरोक्त तर्कों और तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि याची द्वारा प्रत्यर्थी को सूचित करने संबंधी तथ्य बहुत ही विवादास्पद हैं और भले ही याचिका में यथोल्लिखित संदेश भेजने का समय सटीक नहीं है, ऐसे संदेश के बारे में कोई अभिपुष्ट करने वाला साक्ष्य नहीं है ।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने किहोता होल्लोहोन बनाम जचिल्हु एवं अन्य (ए आई आर 1993 एस सी 412) के अपने विनिश्चय में टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) में यथाउल्लिखित निदेश लिखित रूप में सदस्यों को जारी किया जाना है । इस प्रकार, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी को संदेश सौंपने का कोई स्पष्ट साक्ष्य है अथवा नहीं और यदि नहीं,

किसी भी व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के क्रम में परिस्थिति की समग्रता पर विचार करना होगा कि निदेश वस्तुतः प्रत्यर्थी को जारी किए गए थे अथवा नहीं ।

17. उपरोक्त तथ्यों और तर्कों के आलोक में, मेरी समझ से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को लिखित रूप में कोई व्हिप जारी नहीं किया गया था और याची द्वारा प्रत्यर्थी को किसी प्रकार की मौखिक सूचना दिए जाने का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है और मेरे दृष्टिकोण में ऐसे मामले में विनिश्चय तथ्य के विवादास्पद मुद्दे पर आधारित नहीं होना चाहिए । आगे, उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चय दिया है कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) में उल्लिखित निदेश लिखित रूप में दिया जाना है और यह सदस्य को जारी किया जाना है । इस मामले में ऐसी अपेक्षा पूरी नहीं की गई है ।

18. मामले की सभी परिस्थितियों तथा सुनवाई के दौरान किए गए निवेदन पर विचार करते हुए मेरा मत है कि याची संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) की अपेक्षा के अनुसार प्रत्यर्थी को व्हिप अथवा निदेश दिए जाने के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं ।

19. इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए विधि के अनुसार मैंने यह नहीं पाया है कि प्रत्यर्थी ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(ख) की परिधि के अंतर्गत आता हो ।

20. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् मुझे लगता है कि याची याचिका में उल्लिखित तर्क सिद्ध नहीं कर पाए हैं और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है ।

ह/-

सोमनाथ चटर्जी

नई दिल्ली: 26 दिसम्बर, 2008 अध्यक्ष ।"

[सं. 46/17/2008/टी.]

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2008

S.O. 2986(E).—The following Decision dated 26th December, 2008 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

"Before the Hon'ble Speaker of Lok Sabha
Parliament House, New Delhi

In the matter of :

Prof. Ram Gopal Yadav
Leader, Samajwadi Parliamentary Party,
Office Address :
130, Parliament House, New Delhi-110001.

...Petitioner

Versus

Shri Afzal Ansari,
Member of Parliament (Lok Sabha),
from Ghazipur (Uttar Pradesh) Parliamentary Constituency, at present detained in District Jail, Ghazipur, U.P.

...Respondent

Order :

1. This is an application filed on 28th July, 2008 by Prof. Ram Gopal Yadav, Leader, Samajwadi Party (SP) in Lok Sabha against Shri Afzal Ansari, Member of Parliament, Lok Sabha praying for an Order that the Respondent may be disqualified for being and continuing as a Member of the present Lok Sabha, under the Tenth Schedule to the Constitution of India on the ground of his exercising vote in violation of the Party's whip issued on the Respondent during the debate on the Motion of Confidence moved by the Hon'ble Prime Minister in Lok Sabha on 21st July, 2008.

2. It is contended by the Petitioner that the Respondent, who is a Member of the Lok Sabha, was elected to the Fourteenth Lok Sabha from Ghazipur Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh as the candidate of the Samajwadi Party and that the name of the Respondent appears in the list of Samajwadi Party members in the records of the Lok Sabha.

3. It is contended in the Petition that the Respondent was issued a whip for voting in favour of vote of confidence in the Council of Ministers moved by the Prime Minister in the Special Session of Lok Sabha summoned on 21 and 22 July, 2008. The Petitioner has further stated in the Petition that on Tuesday, 22 July, 2008 at 11.00 a.m., he had personally instructed the Respondent to vote in favour of the Confidence Motion. A copy of a Three-Line Whip dated 15 July, 2008 stated to be issued by the Chief Whip of the Samajwadi Parliamentary Party has been annexed to the Petition.

4. The Petitioner's case is that in spite of the aforesaid, the Respondent, instead of voting in favour of the Motion of Confidence, voted against the same in violation of the Party Whip and direction. Therefore, according to the Petitioner, the Respondent has incurred disqualification for being a Member of Lok Sabha and that his voting against the Party's direction had not been "forgiven" by the Party.

5. On 13 August, 2008, the Respondent submitted a reply to the Petition, through the Superintendent of Jail, District Jail Ghazipur, Uttar Pradesh, where he is detained, dealing with the contentions made in the Petition.

6. The respondent in his Reply has admitted that he has been elected to the Fourteenth Lok Sabha from the Ghazipur Constituency in Uttar Pradesh as an authorized candidate of the Samajwadi Party. It is further stated that

for some charge against him, which the Respondent contends is based on conspiracy, he has been under detention in the District Jail Ghazipur, Uttar Pradesh since 8 December, 2005 and continues to remain detained in judicial custody.

7. Dealing with the merits of the contentions, the Respondent has stated that no copy of the Whip was sent to him by the Party and if any such whip had been sent to him in Jail, there would have been record of the same in Jail and that there is no such record. He has also denied that the Petitioner had personally given any information to him on 22 July, 2008 at 11.00 a.m. in as much as he was not even present in the House at that time. Finally, the Respondent has stated that having no knowledge about the whip issued by the Party and not having been given any oral or written intimation regarding the whip prior to the voting, the Respondent voted against the Confidence Motion according to this discretion. He has submitted that the Petition should accordingly be rejected.

8. On 21 October 2008, I gave a personal hearing in the matter at which the Petitioner alone was present but as the Respondent was not produced by the Jail authorities, necessary directions were issued to them to arrange for the presence of the Respondent at the next hearing, which I fixed to be held on 12 November, 2008.

9. At the second hearing held by me on 15 December, 2008, the Respondent also was not produced at the hearing in as much as the application filed before the appropriate judicial authority was pending and the Hon'ble Allahabad High Court had directed the matter to be taken up on 16 December, 2008. On the same day, I again issued direction to the appropriate authorities to arrange for the presence of the Respondent at the hearing, which I fixed on 24 December, 2008 at 4.00 p.m.

10. At the personal hearing held on 24 December, 2008, the Petitioner was absent and as a matter of fact he has resigned from Lok Sabha and has become a Member of Rajya Sabha. Neither he nor any representative of his attended the hearing but the Jail authorities of Ghazipur arranged for the presence of the Respondent at the hearing.

11. At the hearing, the Respondent contended on the lines mentioned in his Reply. He emphasized that no communication was sent to him and that he is in judicial custody since 8 December, 2005 and that if any communication was sent to him in jail, it would have been recorded by the jail authorities, that there is no such record and he has denied that any communication had been sent to him. Lok Sabha Secretariat has also received a confirmation from Ghazipur Jail authorities that no communication was sent to the respondent, who is in Jail custody by or on behalf of Samajwadi Party during the relevant period.

12. Regarding the verbal intimation given by the Petitioner to the Respondent on 22 July, 2008 at 11.00 a.m., as specifically mentioned in the Petition, the Respondent placed documentary evidence to show that after being brought to Delhi from Ghazipur Central Jail, the Respondent was handed over by the authorities to the Watch and Ward staff of the Lok Sabha Secretariat at 11.40 a.m. on 22 July, 2008 and that he was handed back to the appropriate police authorities on that date at 8.30 p.m. The relevant records regarding the same are included in the paper-book of this case. Therefore, according to the Respondent, he could not have been possibly informed by the Petitioner at 11.00 a.m. on that date since he was not even present in the House at that time.

13. In view of the pleadings and the contentions made by the Parties, to my mind, it is clear that no written intimation or copy of the Whip issued by the Chief Whip of the Samajwadi Party was sent to the Respondent, who has been in Jail since 8 December, 2005, as no such communication could have been sent to him without proper records being kept by the Jail authority and it is nobody's case that such record is available. In any event, the Petitioner has not proved any such record.

14. So far as the personal intimation is concerned, which according to the Petitioner was given at 11.00 a.m. on 22 July, 2008, there is evidence that intimation, if any, could not have been given at 11.00 a.m. since the Respondent was handed over to the Watch and Ward staff of the Lok Sabha Secretariat only at 11.40 a.m.

15. On the basis of the aforesaid contentions and the facts, it is clear that the fact of communication by the Petitioner to the Respondent is very much disputed and even if the time of the communication as mentioned in the Petition is not very accurate, there is no corroborative evidence on behalf of the Petitioner with regard to such communication.

16. The Hon'ble Supreme Court has observed in its decision of *Kihota Hollohon v. Zachilhu & Ors.* (AIR 1993 SC 412) that a direction as contemplated by Para 2(1)(b) of the Tenth Schedule is required to be in writing and issued to the Members. Thus, it is necessary to consider whether there was any clear evidence of service on the Respondent and if not, then, one has to consider the totality of circumstances and the plausibility of the case in coming to a finding whether directions were in fact issued to the Respondent or not.

17. From the facts and contentions mentioned above, to my mind, it is clear that there was no service of the whip in writing to the Respondent and that there is no clear evidence of any oral communication by the Petitioner to the Respondent and in my view that a decision on such a matter should not be based on any disputed question of fact. Further, the Supreme Court has been pleased to decide that a direction as contemplated by Paragraph 2 (1) (b) of the Tenth Schedule has to be in writing and has to be issued to the Member. Such requirement in this case has not been clearly fulfilled.

18. Taking all the circumstances of the case and also the submissions made during the hearing into account, I am of the opinion that the Petitioner has not been able to adduce any credible evidence regarding service of the whip or direction on the Respondent in accordance with the requirement of Paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution.

19. Thus in the facts and circumstances of the case and in law, I do not find the Respondent has done in any such act, which comes within the purview of Paragraph 2(1)(b) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

20. Taking into account the aforesaid, I find that the Petitioner has not been able to establish that contentions made in the Petition and the same stands rejected.

Sd/-

SOMNATH CHATTERJEE, Speaker."

New Delhi :

26th December, 2008

[No. 46/17/2008/T.]

P.D.T. ACHARY, Secy.-General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.